अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

मैसर्स किशनगढ़ हाईटेक टेक्सटाईल पार्क लिमिटेड, जरिये चैयरमेन बनाम जगदीश पुत्र श्री भेरू, जाति माली, निवासी मालियों की बाड़ी

[illegible] मुकदमा 225 RTAct नम्बर 18 सन 2022 किशनगढ़

2022/18

इन्द्रेश के रामचंदानी

05.01.2022 यह अपील श्री इन्द्रेश के. रामचन्दानी एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 27.12.2021, प्रकरण संख्या 244/2021 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र वास्ते मूल अपील के गुणावगण निस्तारण तक योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2021 की क्रियान्विति स्थगित फरमाये जाने बाबत् पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम उपस्थिति दिनांक को ही अपीलार्थी द्वारा विभिन्न दस्तावेजात पेश किये थे तथा योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.12.2021 को अपीलार्थी के जवाब को [illegible] हुए भी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी एवं यह [illegible] भी न्यायालय आदेशिका [illegible] स्पष्ट है कि अपीलार्थी की ओर से विधिक दृष्टांत भी दिनांक 15.12.2021 को प्रस्तुत किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.12.2021 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के लिए पत्रावली नियत कर इस आशय का आदेश पारित किया गया कि अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी [illegible] ग्राम किशन[illegible] [illegible] खसरा नम्बर 2221 एवं खसरा नम्बर 2222 में [illegible] दखल नहीं करे [illegible] कि भूमि खसरा नम्बर 2221 एवं खसरा नम्बर 2222 के [illegible] में [illegible] नहीं करे [illegible] रखें। [illegible] आदेश [illegible] किया गया [illegible] से अंतिम आदेश की श्रेणी में ही माने जाने योग्य है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों, दस्तावेजो एवं विधिक दृष्टान्तो का अवलोकन नहीं कर उनका अपने आदेश में विवेचन नहीं कर एक पक्षीय मनमाना, [illegible] प्रतिकूल आदेश पारित किया [illegible] की ही पट्टेशुदा सम्पत्ति के बाबत् अप्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों का योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकटीकरण कर न्यायालय से पूर्व के लम्बित विवादों के तथ्य को छिपाकर वाद संस्थित कर उपरोक्त आदेश प्राप्त किया [illegible] अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान का [illegible] नहीं किया है। किसी अन्य की सम्पत्ति में से आवागमन के बाबत् उस सम्पत्ति धारी के बाबत् अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित किया जाना विधि अनुज्ञात नहीं है। विशेषतःऐसी स्थिति में जब अपीलार्थी को [illegible] रीको द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ पट्टे से [illegible] राजस्व मानचित्र [illegible] गया था जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 8 की खसरा नम्बर 2222 के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 2582 की भूमि है एवं उक्त खसरा नम्बर 2582 की भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अधीन सेट अपार्ट होकर रीको को आवंटन की गयी थी एवं रीको ने [illegible] को रीको निष्पादन नियम 1979 के अधीन शाश्वत् लीज पर परिदत्त [illegible] So in trial court the revenue record was available that on the west side of the khasra no. 2222 the land of appellant is attached still

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

18/2022/225 मैसर्स किशनगढ़ हाईटेक v/s जगदीश

इन्द्रेश जे. रामचंदानी

लगातार

that trial court didn't taken the cognizance.शायद यही कारण रहा था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के इस तर्क को अपनी आदेश में अंकित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय की न्यायालय में लम्बित धारा 251 (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र जो क्रम संख्या 110/2021 का प्रत्यर्थी की ओर से अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 02.09.2021 को प्रस्तुत किया गया था को भी दृष्टिगत नहीं किया है। विशेषत ऐसी स्थिति में जब अपीलार्थी ने अपने लिखित उत्तर के प्रारंभिक आपत्ति के चरण संख्या 01 में विशिष्ट रूप से अभिवाक किया है एवं इस पहलू पर अपीलार्थी की ओर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1978 सुप्रिम कोर्ट पृष्ट संख्या 765 प्रस्तुत किया था। अपीलार्थी के टेक्सटाईल पार्क में कई औद्योगिक यूनिट्स संचालित होकर, उद्देश्य से विभिन्न सुविधाएं प्रदत्त कर किया गया है। इस परिपेक्ष में अपीलार्थी का हित जनआम से जुडा हुआ है। मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पहलू पर न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1985 सुप्रिम कोर्ट पृष्ट सख्या 330 भी प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन न्यायिक दृष्टांतो को भी अपने आदेश में विवेचित नहीं किया है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 244/2021 बउनवान जगदीश वगैरह बनाम चैयरमेन किशनगढ़ हाईटें टैक्सटाईल पार्क लि0 वगैरह आदेश दिनांक 27.12.2021 की क्रियान्विति को स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांटस को बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात, न्यायिक दृष्टातो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन से प्रतीत है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा दिनांक 27.12.2021 को इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधज्ञा जारी की है कि ग्राम किशनगढ़ स्थित प्रार्थीगण कि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2221 एवं खसरा नम्बर 2222 से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे एवं प्रार्थीगण कि भूमि खसरा नम्बर 2221 एवं खसरा नम्बर 2222 में आवागमन में बाधा कारित नहीं करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है। धारा 225 (1) राज.काश्तकारी अधिनियम के अधीन अपील अंतिम आदेश के विरूद्ध ही अवधारर्णीय रहती है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना है फिर भी न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थीगण/अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का हवाला देते प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 का निस्तारण करें।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

मैसर्स किशनगढ़ हाईटेक V/s नागरिक

18/2022/225
लगातार

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे प्रार्थीगण/अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का हवाला देते प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैंसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर